न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/154/2024 रजू दिनांकः 19.11.2024 रजि0 न0 2024/267

अपीलार्थीः—

श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्भूदयाल सैनी, निवासी मौहल्ला, खोहरा, स्कीम नं0 7, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 10.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.12.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय के नोटिस पत्रांक 1044—45 दिनांक 19.11.2024 एवं 79 दिनांक 03.02.2025 उपरान्त जवाब प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की द्वितीय अपील के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़ ओ.टी.एस. चौराहा, जे0एल0एन0 मार्ग, जयपुर को जवाब प्रस्तुत कर जरिये प्रतिलिपि पत्रांक नविवि/आर.टी.आई./2025/11212 दिनांक 11.02.2025 प्रेषित कर उपरोक्तानुसार अपील नोटिस निस्तारण हेतु अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 04.02.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर 6 बिन्दुओं के संबंध में आराजी ख0न0 381, हाल ख0न0 213 किटोडा भूखण्ड संख्या 24 एवं रणजीत नगर, में कमेटी, सूपर इंपोज मानचित्र इत्यादि की सूचना अलग—अलग आवेदन पत्रों के माध्यम से चाह रहा है, जिसमें अपीलार्थी को दस्तावेजों के नकल एवं निरीक्षण के पत्रांक 9422—23 दिनांक 02.11.2023 में सूचित किया जा चुका है, जिसमें पूर्व में आवेदक के द्वारा सम्पूर्ण सूचनाऐं हस्ताक्षर कर प्राप्त कर ली गई है। अब पुनः न्यास पत्रांक 11123 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा आवेदक को पत्र प्रेषित कर कार्यालय में अवलोकन हेतु उपस्थित होने के संबंध में जारी किया जा चुका है। अपीलार्थी को आवश्यक समस्त दस्तावेजों की निरीक्षण करवाया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना के कम में न्यास प्रतिलिपि पत्रांक 11212 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 04.02.2022 के संबंध में अवगत कराया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 04.10.2024 पोस्टल आर्डर संख्या 63एफ 923438 दिनांक 04.10.2024 के तहत 6 बिन्दुओं की सूचना के संबंध में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांक 04.10.2024 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना ना ही अपीलार्थी को भिजवाया जाना अंकित किया है और ना ही न्यायालय हाजा को आदिनांक तक प्रेषित की गई है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम आवेदन दिनांक 04.10.2024 में वांछित सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में सूचना देयता की श्रैणी में हो तो अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध कराई जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)